संख्या:4/2017/206/49-3-2017-100(9)/2012टी0सी0-1

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2017

विषय-प्रीपोजीशनिंग योजना तथा सामान्य योजना की उर्वरकों के परिवहन पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति
वर्ष 2016-17

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 623/कृषि निवेश/बी-287, दिनांक 16 फरवरी, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रू0 सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से प्राप्त प्रीपोजीशनिंग एवं सामान्य परिवहन क्लेम बिल मद में निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार रू0 5,47,99,959.00 (रू0 पॉच करोड़ सैंतालिस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ उनसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :--

परिवहन सम्बन्धी माहवार क्लेम बिल की प्रतिपूर्ति हेतु विवरण (धनराशि रू0 में)

नाम परिवहन समिति	क्लेम माह	रासायनिक उर्वरकों पर क्लेम धनराशि
पी0सी0एफ0	जुलाई 2016	21325082.00
	अगस्त 2016	26426740.00
योग-		47751822.00
डीसीडीएफ मुजफफरनगर	अक्टूबर 2016	57064.00
	नवम्बर 2016	72482.00
योग--		129546.00
डीसीडीएफ सहारनपुर	अक्टूबर 2016	124800.00
	नवम्बर 2016	429505.00
	दिसम्बर 2016	109385.00
योग--		663690.00
के0उ0सह0भ0लि0 प्रतापगढ़	जुलाई 2016	33108.00
	अगस्त 2016	251820.00
	सितम्बर 2016	64884.00
योग-		349812.00

.....2/----

http://shasanadesh.up.nic.in

डीसीडीएफ बिजनौर	अप्रैल,2016	639635.00
	मई,2016	1288568.00
	जून 2016	518285.00
	जुलाई 2016 प्रीपो0	38626.00
	जुलाई 2016	105469.00
	अगस्त 2016	42014.00
	सितम्बर 2016	50720.00
	अक्टूबर 2016	37274.00
योग--		2720591.00

चॉदपुर क्र0वि0स0चॉदपुर, बिजनौर	अप्रैल,2016	372289.00
	मई,2016	666331.00
	जून 2016	312807.00
	जुलाई 2016	67038.00
	अगस्त 2016	34057.00
योग-		1452522.00
डी0सी0डी0एफ0 आजमगढ़	नवम्बर 2016	8521.00
	दिसम्बर 2016	16662.00
योग-		25183.00
क्रय विक्रय आगरा	सितम्बर 2016	18874.00
	अक्टूबर 2016	88975.00
	नवम्बर 2016	330993.00
योग-		438842.00
डीसीडीएफ सीतापुर	अप्रैल,2016	1738.00
	मई,2016	10946.00
	जून 2016	12932.00
	जुलाई 2016	14659.00
	अगस्त 2016	16284.00
	सितम्बर 2016	3640.00
योग-		60199.00
जेफेड पीलीभीत	मई,2016	137268.00
योग:--		137268.00

http://shasanadesh.up.nic.in

जेफेड सीतापुर	मई 2016	6585.00
	जून 2016	8948.00
	जुलाई 2016	5869.00
	अगस्त 2016	10692.00
	सितम्बर 2016	2903.00
	अक्टूबर 2016	1483.00
योग:-		36480.00
एटा के0उ0भ0 एटा	जुलाई 2016	60713.00
	अगस्त 2016	331011.00
	सितम्बर 2016	45507.00
	अक्टूबर 2016	62545.00
	नवम्बर,2016	184451.00
	दिसम्बर, 2016	349777.00
योग:-		1034004.00
महायोग--		5,47,99,959.00

कुल योग-रू0 5,47,99,959.00 (रू0 पॉच करोड़ सैंतालिस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ उनसठ मात्र)

2- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

3- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-1/2016/ बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22मार्च, 2016 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित की जाय।

5- धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णयों व शासनादेशों के अनुरूप है एवं व्यय के आगणन के सही/शुद्धता/नियमानुसार होना सुनिश्चित किया जाये।

6- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2017 तक उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- यू0ओ0-ई-2-223/दस-2017, दिनांक: 30-3-2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:4/2017/206(1)/49-3-2017, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,32स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0(नवें तल), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in